प्राक्कथन

सूचनाओं के प्रयोग के माध्यम से कर आधार को सुदृढ़ करने की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से निहित मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों-प्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की गई है।

हमारे निष्कर्ष मुख्यतः नवम्बर 2011 से जून 2012 तक की गई नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।